

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/3873...../

जबलपुर, दिनांक 19 / 05 / 2025

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1/ 2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार कॉलम नं. 3 की दिनांक से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	नाम व पद	गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति हेतु दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	शिवानी सिंह राजपूत, पर्सनल असिस्टेंट	दिनांक 06.01.2025
2	श्री शुभम केवट, नवगठित सेवा के सदस्य	दिनांक 24.03.2025
3	सोनल श्रीवास्तव, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट	दिनांक 01.04.2025
4	स्नेहा दुन्देले, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट	दिनांक 01.04.2025
5	शाहिना खान, पर्सनल असिस्टेंट	दिनांक 01.12.2024

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांकC/3874...../

जबलपुर, दिनांक 19 / 05 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,

निरन्तर ... 2 ...

4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. शिवानी सिंह राजपूत, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. श्री शुभम केवट, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. सोनल श्रीवास्तव, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. स्नेहा दुन्देले, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
10. शाहिना खान, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)